Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from 145-Raniwara Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

NARAYAN SINGH DEWAL (Name) VILLAGE PAHADPURA TEHSIL JASWANTPURA DISTRICT JALORE (Address)¹ [sponsored by BHARTIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

lace . salore

Date: 11-12-2018

Signature

Returning Officer

रिटर्निग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,रानीवाडा-145 (उप खण्ड मिल्ट्रेट,रानीवाडा)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोशणा।

145-रानीवाड़ा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री/श्रीमती (नाम) नारायण सिंह देवल (पता)¹ गांव पहाड़पुरा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई।]

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान : जालोर

तारीख: 11.12. 2018

हिटीनिंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन् अन्तर्मा खुड़िप्तिन् (उप खण्ड मजिस्ट्रेट,रानीवाड़ा)